

28.06.2024:—पत्रावली पेशी मे आई। प्रार्थी वकील उपस्थित नही आए। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया कि अधिवक्ता द्वारा पत्रावली मे कोई आवश्यक कार्यवाही नही हो रही है। प्रार्थी पक्ष व अप्रार्थी पक्ष से चाही कई कार्यवाही नही हो रही है। प्रकरण 2009 से लंबित है प्रार्थी व अप्रार्थी अधिवक्ता को बार बार आवाज लगाई गई। अवाज लगाने के उपरान्त भी असालतन/वकालतन उपस्थित नही आये। प्रार्थी व अप्रार्थी अधिवक्ता के उपस्थित नही आने के कारण प्रार्थना-पत्र अदम पैरवी/अदम हाजरी मे खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तकमील दाखिल दफतर हो।


उपस्थित कलक्टर
उपखण्डाधिकारी
मुमानगढ़

